1195 पटवारी होंगे भर्ती

जयराम ठाकुर मंत्रिमंडल का फैसला, शिमला-कांगड़ा के बंदोबस्त विभाग में होगी तैनाती

मलाराम डरौल – शिमला

जयराम मंत्रिमंडल ने 1195 पटवारियों के खाली पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके तहत मंत्रिमंडल ने शिमला और कांगड़ा के बंदोबस्त विभाग में 1195 उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें पटवारी का प्रशिक्षण प्रदान करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इससे अगले पांच वर्षों में पटवारियों के खाली पदों को भरा जाएगा। इन उम्मीदवारों में 933 उम्मीदवार मोहाल और 262 उम्मीदवार बंदोबस्त के होंगे। इसके अलावा 17 पात्र चेनमैन भी चयनित होंगे। मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण निदेशालय में 'दिव्यांगता प्रकोष्ठ' स्थापित करने का निर्णय लिया और इसके लिए आवश्यक पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद द्वारा सूजी, कालेहली और कल्पा में चलाए जा रहे बाल आश्रमों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के सात पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के बालीचौकी में आवश्यक पदों के सृजन सहित एक उपरोजगार कार्यालय खोलने को भी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के पधर में नई खुली फायर पोस्ट के सुचारू कार्य के लिए विभिन्न वर्गों के 17 पदों को सृजित करने और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की तथा दो नए वाहन उपलब्ध करवाने को भी मंजूरी दी। मंडी जिला के गोहर में भी एक नया फायर सब स्टेशन खोलने को अपनी संस्तुति दी तथा इसके लिए विभिन्न वर्गों के 23 पदों को सृजित करने और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। इस

1195 पटवारी होंगे: पृष्ठ 11 पर

- दिव्यांगता प्रकोष्ठ स्थापित करने का भी निर्णय
- बालीचौकी में उपरोजगार कार्यालय खोलने को मंजूरी
- मंडी के गोहर में खुलेगा नया फायर सब स्टेशन
- श्री नयनादेवी को दिया ब्लॉक मेडिकल आफिस
- आरोग्य मित्र का कार्य आउटसोर्स पर दिया जाएगा
- एसएमसी अध्यापकों की सेवाएं रहेंगी जारी

गैर हिमाचलियों को शर्तों पर ही नौकरी

वरिष्ठ संवाददाता, शिमला

- तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पद भरने के लिए बदले जाएंगे आर एंड पी रूल
- कैबिनेट मीटिंग में हुई चर्चा के बाद फैसला

प्रदेश में अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर गैर हिमाचलियों को सिर्फ शर्तों पर ही नौकरी दी जाएगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह अहम निर्णय लिया गया। अब हिमाचल में तृतीय श्रेणी की नौकरी के लिए वे गैर हिमाचली ही पात्र होंगे, जिन्होंने अपनी दसवीं या 12वीं की परीक्षा हिमाचल बोर्ड से पूरी की होगी। इसी तरह चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी लगने को गैर हिमाचलियों को आठवीं या दसवीं की परीक्षा हिमाचल से ही पूरी करने की शर्त पूरी करनी होगी। इस नियम को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने के लिए आर एंड पी रूल में संशोधन करना होगा। हालांकि मामला एजेंडे में नहीं था, लेकिन सप्लिमेंट एजेंडे में चर्चा की गई। गौरतलब है कि प्रदेश सचिवालय में 155 क्लर्क के पदों में से 16 पद गैर हिमाचलियों को नौकरी दी गई है।

ऐसे में अब आने वाले समय में गैर हिमाचलियों को ऐसे पदों पर नौकरी शर्तों पर ही दी जाएगी। सरकार आर एंड पी रूल में संशोधन करेगी, ताकि हिमाचल के युवाओं के साथ अन्याय न हो सके। बताया गया कि वर्ष 2017 में पूर्व सरकार ने अपने बाहरी राज्यों के लोगों को भी राहत देने के लिए आर एंड पी रूल में संशोधन किया था।